

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता - कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in

Ph. & Fax No. 07141-234266

क्र०/मा०चि०/

1977

बैतूल, दिनांक 14/10/2019

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
बैतूल वृत्त, बैतूल

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत बैतूल विण्ड फार्म बैतूल को मार्ग एवं ट्रांसमिशन लाईन उपयोग हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के लंबित प्रस्ताव के संबंध में।
(प्रकरण क्रमांक/FP/MP/WIND/6893/2014)

- संदर्भ:-
1. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./1731 दिनांक 03.11.2018
 2. प्रबंधक बैतूल विण्ड फार्म लिमिटेड भैसदेही का पत्र क्र./बी.डब्ल्यू.एफ.एल./004 दिनांक 05.01.2019
 3. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्र./एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14.05.2019
 4. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र./एफ-11/2019/10-11/1529 दिनांक 14.05.2019
 5. आपका पत्र क्र./मा.चि./19/2317 दिनांक 20.05.2019
 6. उपवनमंडलाधिकारी भैसदेही (सा.) के पत्र क्र./1793 दिनांक 03.10.2019
 7. परिक्षेत्र अधिकारी भैसदेही (सा.) के पत्र क्र./2147 दिनांक 02.10.2019

- 0 -

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में प्रबंधक बैतूल विण्ड फार्म लिमिटेड भैसदेही द्वारा नवीन प्रस्तावित ग्राम-खामला, प.ह.नं. 43/94, खसरा नं. 417/2, रकबा 1.400 हे. की अवधि 2020-21 से 2029-30 तक की 10 वर्षीय राशि रु. 22,57,248/- (बाईस लाख सत्तावन हजार दौ सौ अठ्तालीस रुपये) की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय अनुशंसा के तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के संदर्भित पत्रानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा 0 से 10 हेक्ट. तक का अधिकतम व्यय प्रति हेक्ट. 8.93 लाख निर्धारित है। जबकि विषयांकित प्रोजेक्ट हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 13.43 लाख प्रति हेक्ट. की तैयार की गई। प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट भूमि का क्षेत्र अत्यन्त छोटा (1.44 हेक्ट) होने के कारण कई ऐसे कारक जिन पर वृक्षारोपण की सफलता निर्भर है उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। इस कारण से प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रति हे. व्यय निर्धारित नार्मस सीमा से अधिक आ रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी,

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

01/10